

आदेश

तिथि
Aug 3 2020

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा विशुनपूर थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
377	74	0 एकड़, 3.3 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री शांति गोप	पिता	स्व० बदरी गोप

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 5951 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
राम किशुन गोप बद्री गोप वो बासकी नाथ गोप	पिता	सन्तु गोप पिता हसन गोप
मुसमात रमणी मुसमात गिनिया कमला देवी	पिता	हराधन गोप बाबुल लाल गोप पिता भोला नाथ गोप
वो मुसमात सीरिया एतवारी गोप वो चारू गोप	पति	भोला नाथ गोप पिता भीम गोप
सुशीला देवी झग्ही देवी झालवा देवी वो उपासी देवी वो	पिता	सुन्दर गोप
लुख्या देवी वो सुगगा देवी वो झुन्फुकी देवी वो बचनी	पिता	सुन्दर गोप
कीर्ति चन्द्र गोप दुर्गा चरण गोप	पिता	कोकिल गोप
मुसमात कुसमी	पति	कोकिल गोप
साबल गोप मुसमात लुध्या दी०	पिता	छोटू गोप पति छोटू गोप

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व उपनिरीक्षक एबम अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार दाखिल खरिज आबेदन को स्वीकृत हेतु अनुसंसा किया गया है अत दाखिल खरिज आबेदन को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **4रुपये**
स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण
किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी घनबाद